स्मरण–पत्र

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No.. 07453–230244

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./उ.व.स./2020–21 9009 दिनांक 16/11/21

निमित्तः– अधिशाषी अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड शाहबाद।

विषय :– जन पद बारां में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत गोरधनपुरा से धट्टा तक सडक निर्माण हेतु 2.22 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु।
Proposal no. FP/RJ/Road/6982/ 2014)

संदर्भः–भारत सरकार पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षैत्रीय कार्यालय जयपुर का पत्र कमांक पत्र सं08बी/राज0/06/30/2015/एफ. सी/1388 दिनांक 05.02.2016 एवं इस कार्यलय का पत्र कमांक 3649 दिनांक 18.04.2019 तथा पत्र कमांक 7463 दिनांक 29.07.2020 एव पत्र कमांक 9358 दिनांक 14.10.2020 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रालय एकीकृत क्षैत्रीय कार्यालय का पत्र कमांक पत्र सं08बी/राज0/06/30/2015/एफ. सी/1388 दिनांक 05.02.2016 से प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में जारी बिन्दुओ की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट अंडरटेकिंग सहित 5 सेट में इस कार्यालय में प्रेषित करने हेतु पूर्व में भी आपको इस कार्यलय का पत्र कमांक 3649 दिनांक 18.04.2019 तथा पत्र कमांक 7463 दिनांक 29.07.2020 को पत्र लिखा गया था परन्तु आज दिनांक तक भी आप द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट प्रेषित नही की गई है।

अतः अब **बिन्दु संख्या –2** के कम में राज्य सरकार द्वारा वेज रेट परिर्वतित होने के कारण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दरो में परिर्वतन हुआ है। 2.22 है0 क्षैत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु अन्तर राशि 193641 per ha x 2.22 ha = 429,883.02 – 323954 (पूर्व मे आप द्वारा जमा राशि) = 105,929.02 रू लाख जमा होने है। अतः अन्तर राशि 105,929.02 रू लाख केम्पा Online e- portal (https;//parivesh.nic.in/) जमा करा रसीद इस कार्यालय में प्रेषित करे।

बिन्दु संख्या –9 के कम में इसके अलावा भारत सरकार ,पर्यावरण ,वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय ,नई दिल्ली के पत्रांक 7–23/ 2012 – एफसी दिनांक 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)के निर्णय दिनांक 07.11.12 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृती की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय में प्रेषित करें । ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

नोट–:वेज रेट 225 से @252 हो गई है। डिमांड नोट भी 252 की वेज रेट से ही बनाया गया है।

(वी.चेतन कुमार)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./उ.व.स./2021/ दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1 संभागीय मुख्य वन संरक्षक,कोटा।

(वी.चेतन कुमार)
उप वन संरक्षक
बारां

956
23/11/21